**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 126**

**सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)**

**कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत नामांकन**

***126. श्री उज्जवल रमण सिंहः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत नामांकन के लिए वर्तमान न्यूनतम वेतन सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आशा, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं का नामांकन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

**"कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत नामांकन" के संबंध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 126 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (घ): ईपीएफ योजना, 1952 के प्रावधान के अनुसार, ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान के 15,000/- रुपये तक वेतन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाना अपेक्षित है और यह योजना केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होती है।

आशा कार्यकर्ता (आशा) सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक होते हैं। उन्हें नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए मासिक आधार पर निश्चित प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्यनिष्पादन-आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र भी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं को पात्रता मानदंडों के अनुसार, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के अंतर्गत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज भी प्रदान किया जाता है।

आशा कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर और समग्र संसाधन आवंटन के भीतर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायक (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय के मानद कार्यकर्ता होते हैं। एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच को अंशकालिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है। कई राज्य सरकारें मौजूदा मानदेय के साथ अतिरिक्त राशि भी प्रदान कर रही हैं। एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच तथा उनके परिवार के सदस्यों को, आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के अंतर्गत ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज भी प्रदान किया जाता है।

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत, रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच) मानद कार्यकर्ता होते हैं। उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए मानदेय प्राप्त होता है। कई राज्य सरकारें अपने बजट में से अतिरिक्त धनराशि देकर इस राशि को बढ़ा कर देती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायक और रसोइया-सह-सहायक भी पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार, नीतिगत ढांचा, दिशानिर्देश और लागत-साझाकरण के आधार पर निधि उपलब्ध कराती है। इनके कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की होती है।

*****